वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / **F.No. 11-9/1998-FC**दिनांक 03.08.2009)

इस योजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नईदिल्ली कापत्रक्रमांक / **F.No. 11-9/1998-FC**दिनांक 03.08.2009 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव संलग्न है।

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

ROHIT SHRIVASTAVA
GM-LIAISON

(रोहित श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि.,
सिकंदराबाद

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मंडल

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 110 / भू.अ.लि / 2018 रायगढ़ दिनांक 22.01.2018

प्रति,

अपर प्रधान
मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध / व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मेसर्स मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि. के ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) जिला रायगढ़ में 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 6.69 हे. वन भूमि के लिए प्रमाण पत्र भेजने बाबत्।

संदर्भ :– मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि.सिकदंराबाद का आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2017

——00——

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें । मेसर्स मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि. द्वारा ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) जिला रायगढ़ में 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्ताव हेतु प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक 385 रकबा 2.00 हे. एवं राजस्व वनभूमि खसरा नं. क्रमशः 1355 / 1क / 1, 1375 / 1क / 1, 1379 / 1क रकबा क्रमशः 0.70, 2.451 एवं 1.539 हे. कुल 4.69 हे. अर्थात् कुल भूमि 6.69 हे. के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र चाही गई है।

अतः उपरोक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि. के 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना हेतु ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) जिला रायगढ़ में स्थित उपरोक्तानुसार वन भूमि 2.00 हे. एवं राजस्व वन भूमि 4.69 हे. कुल रकबा 6.69 हे. वन भूमि के लिए निर्धारित प्रारूप प्रदर्श 'स' प्रमाण पत्र एवं नॉन लीनियर प्रकरण हेतु फार्म–2 में जानकारी संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 110A / भू.अ.लि / 2018 रायगढ़ दिनांक 22.01.2018

प्रतिलिपि :–

1– वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि.सिकदंराबाद को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

<u>कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख रायगढ़ (छ.ग.)</u>

प्रदर्श 'स'

<u>प्रमाण पत्र</u>

मेसर्स मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि. को 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना हेतु जिला रायगढ़ में धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **6.69** हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि :–

1– अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **2.00** हे. एवं राजस्व वन भूमि **4.69** हे. कुल रकबा **6.69** हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ में स्थित हैं, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

नगर पंचायत धरमजयगढ़ के सामान्य सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 19.12.2017 (**प्रदर्श 'अ'**) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श 'ब'**) पर दर्शित है।

2– उक्त प्रकरण का प्रस्ताव नगर पंचायत धरमजयगढ़ के अध्यक्ष श्री महेश कुमार चैनानी की अध्यक्षता में हुई नगर पंचायत सामान्य सभा की बैठक दिनांक 19.12.2017 में रखा गया था एवं इसमें 50 प्रतिशत नगर पंचायत के तथा खण्ड स्तरीय वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई ।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
1	2	3	4
1	निरंक	निरंक	निरंक

3 – जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें नगर पंचायत सामान्य सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4– संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नगर पंचायत सामान्य सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19.12.2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5– संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नगर पंचायत सामान्य सभा के दिनांक 19.12.2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

Annexure-II

FORM-II

(for Project other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Raigarh

*****

No ....110........ Dated ..22-01-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 2.00 Hectares forest land & 4.69 Revenue forest land Total **6.69** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Malka Renewable Energy Pvt** for **8 MW small Hydroelectricity Project** in **Raigarh** district falls within jurisdiction of **Dharamjaigarh (Damas)** village in **Dharamjaigarh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.69** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Nagar Panchayat (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed .

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Nagar Panchayat of forest- dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Nagar Panchayat (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Nagar Panchayat of **Dharamjaigarh (Damas)** village is enclosed.

(d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Nagar Panchayat present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Nagar Panchayat have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

(Shammi Abidi)
District Collector
Raigarh (C.G.)

BAGHEL

प्रदर्श ब

नगर पंचायत धरमजयगढ़ की बैठक दिनांक –19/12/2017

कार्यवाही का विवरण

स्थान – नगर पंचायत धरमजयगढ़

आज दिनांक 19/12/2017 का नगर पंचायत धरमजयगढ़ के अध्यक्ष श्री महेश कुमार चैनानी जी के अध्यक्षता में नगर पंचायत की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में नगर पंचायत सभा एवं समिति के सदस्य 66% प्रतिशत् उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई – वार्ड नं. 13 दमास तहसील धरमजयगढ़ में आवेदक मल्का रिन्युवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (गैर वानिकि कार्य) के लिये का भूमि में व्यपवर्तन हेतु 2.00 हे. कक्ष क्र. 385 वन भूमि 4.69 हे. राजस्व वन भूमि, खसरा नं. 1355/1क/1से, 1375/1क/1 से, 1379/1क से रकबा क्रमशः 0.700,2.451,1.539 कुल रकबा 6.69 हे. है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गई है।

प्रस्ताव के लक्ष्य उददेश्य एवं उक्त प्रस्तावित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इन वन व्यपतर्वन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनूसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि लधु जल विद्युत परियोजना कार्य के व्यपतर्वन के लिये प्रस्तावित है, मैं कोई भी आदिवासी, गैर–परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वन वासी को हक प्रस्तावित वनभूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्याक्तयों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है।

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे.में)
1.	निरंक,	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से नगर पंचायत आम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2.00 हे0 कक्ष क्र. 385 वनभूमि, 4.69 हे0 राजस्व वन भूमि कुल योग 6.69 हे0 वन भूमि को गैरवानिकि प्रायोजन हेतु मेसर्स मल्का रिन्युवल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अजय राठिया
'पार्षद' वार्ड क्रं.-13 झूलनबर
नगरपंचायत, धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)
19/12/017

(महेश कुमार चैनानी)
'अध्यक्ष'
नगर पंचायत धरमजयगढ़

कार्यालय नगर पंचायत धर्मजयगढ़ की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 19/12/2017समय 12बजे दिन

कमांक–	पदाधिकारीयों का नाम–	पद नाम	सही/ हस्ताक्षर
(1)	मा0 श्री महेश चैनानी	अध्यक्ष	–//–
(2)	मा0 श्री विजय कुमार यादव	उपाध्यक्ष	–//–
(3)	श्रीमति अंनामिका मण्डल	पार्षद	–//–
(4)	श्री सुरेश राठिया	पार्षद	–//–
(5)	श्री मनोज शर्मा	पार्षद	–//–
(6)	श्रीमति राशि बाई राठिया	पार्षद	–//–
7	श्रीमति हेलेना टोपो	पार्षद	–//–
8	श्री अजय राठिया	पार्षद	–//–
9	श्री मंजिला एक्का	पार्षद	–//–
10	श्री रमेश ठाकूर	पार्षद	–//–

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव क.01:–मेर्सस मलका रिनयूएवल एनर्जी प्रा.लि. का अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करनें हेतू	संकल्प कमांक 01:– प्रकरण का आवलोकन किया गया मेमर्स मलका रिन्युनेवल एलर्जी प्राइवेट लिमेटेट द्वारा को एन0 ओ0 सी0 जारीनगर पंचायत धर्मजयगढ़ से मांग किया गया था। उक्त प्रकरण पर परिषद के बेठक दिनांक 30/10/2017 को परिषद में समक्ष चर्चा किया गया था। चर्चा पश्चात पार्षद गण द्वारा मौका मुआयना एंव चर्चा किया गया तद् अनूसार आज दिनोक 19/12/2017 को परिषद् के समक्ष चर्चा विचार में लिया गया शासन के द्वारा निर्धारित बनाये गये माप दण्डों नियमों का यदि मेसर्स मलका रिन्यूनेवल एलर्जी प्राईवेट लिमेटेट के द्वारा सत् प्रतिशत् पालन किऐ जाने के शर्तो पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किय जाने की सर्व सम्मति से अनूसंशा की जाती है। यदि कंपनी मेर्सस मलका रिन्यूनेवल एलर्जी प्राईवेट लिमेटेट के द्वारा शासन,वन विभाग,राजस्व विभाग,राज्य शासन के द्वारा बनाये गये मापदंडो, नियमों का उल्लघन भभिष्य में करते है तो जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव रद् माना जावे सर्व सम्मति से पारित।अनूमोदित।संकल्प की कापी अनूविभागीय राजस्व, संबंधित को दिया जावे।
	सही /हस्ताक्षर अध्यक्ष नगर पंचायत धर्मजयगढ़

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर पंचायत धर्मजयगढ़

19/12/17

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, उपखण्ड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)
बैठक की कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत् मेसर्स मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा0 लि0 द्वारा 8 मे0 वा0 लघु जल विघुत परियोजना हेतु ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) में नीचे दर्शित वन भूमि से गुजरने का प्रस्ताव संबंधित नगर पंचायत प्राप्त कर उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को प्राप्त हुआ है। लघु जल विघुत परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान के अन्तर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/ अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 5.01.2018 को आयोजित की गई।

क्र0	वन भुमि का प्रकार	खसरा/कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा वन भूमि	आवेदित रकबा राजस्व वन भूमि
1.	वन भुमि	PF 385	2.00	
2.	राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल)	1355/1 क/1		0.700
3.	राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल)	1375/1क/1		2.451
4.	राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल)	1379/1क		1.539
	कुल वन भूमि		2.00 हे0	4.69 हे0

बैठक में उपरोक्त प्रयोजनार्थ जिला रायगढ़ के संबंधित नगर पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव का उपखण्ड स्तरीय समिति परीक्षण उपरांत पाया गया की उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी खेती, आवास व अन्य किसी भी अजीविका

के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहें है तथा किसी अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं समुदायिक वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है। अतः उपखण्ड स्तरीय समिति के द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उद्देश्य अथवा मेसर्स मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा0 लि0 द्वारा 8 मे0 वा0 लघु जल विघुत परियोजना के निर्माण के लिये 2.00 हे0 वन भूमि एवं 4.69 हे0 राजस्व वन भूमि कुल 6.69 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यार्वतन जिले में अक्षय उर्जा कि आपूर्ति एवं लोक प्रायोजन नियमानुसार करने हेतु प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को मूलतः प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्रीमति कन्याकुमारी राठिया
(अध्यक्ष जनपद पंचायत धरमजयगढ़)
सदस्य खण्ड स्तरीय वन समिति धरमजयगढ़

श्री अमृत तिर्की
(उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धरमजयगढ़)
सदस्य खण्ड स्तरीय वन समिति धरमजयगढ़

श्रीमति नर्मदा गौरी राठिया
(जिला पंचायत सदस्य धरमजयगढ़)
सदस्य खण्ड स्तरीय वन समिति धरमजयगढ़

जिला पंचायत सदस्य
निर्वाचन क्षेत्र क्र.24
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

श्री बी0 एस0 सरोटे
(अनुविभागीय अधिकारी (वन) धरमजयगढ़)
सदस्य खण्ड स्तरीय वन समिति धरमजयगढ़

श्री ए0 एम0 पटेल
(मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़)
सदस्य खण्ड स्तरीय वन समिति धरमजयगढ़

05/01/2018

श्रीमति नम्रता आनन्द डोंगरे
(अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़)
अध्यक्ष खण्ड स्तरीय वन समिति धरमजयगढ़